

18/04/23

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण ईकरतफा। वकील प्रार्थिनी की ईकतरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थिनी का कथन है कि प्रार्थिनी मौजा माडपुरा सानी पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 245 रकबा 0.01 बीघा, खसरा संख्या 246 रकबा 0.01 बीघा व खसरा संख्या 247 रकबा 4.16 बीघा कुल रकबा 04.18 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थिनी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थिनी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी मौजा माडपुरा सानी पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 245 रकबा 0.01 बीघा, खसरा संख्या 246 रकबा 0.01 बीघा व खसरा संख्या 247 रकबा 4.16 बीघा कुल रकबा 04.18 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थिनी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीशनर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थिनी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फ़ैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर